

हाल ही में TED रिफंड / ड्राबैक में संशोधन। TED रिफंड टर्म टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी।

“TED रिफंड” / “ड्राबैक” डीमड एक्सपोर्टर द्वारा आवेदन कर सकते हैं। “डीमड एक्सपोर्ट्स” वह होता है जिसमें माल भारत से बाहर नहीं जाता है परंतु उसका पेमेंट Foreign Convertible Currency या भारतीय मुद्रा रुपए में भी आ सकता है।

भारत में manufactured वस्तुओं की supply (और सेवाओं को नहीं) को रखा गया है जिसे CGST/SGST Act, 2017 के section 147 के तहत समझा जाता है। डीमड निर्यात के रूप में notified वस्तुओं की supply की श्रेणियाँ

- 1) एडवांस ऑथराइजेशन (Advance Authorisation) के खिलाफ एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल की supply. इस में advance authorisation पार्टी के पक्ष में invalidate करते हैं
- 2) एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन (Export Promotion Capital Goods Authorisation) के खिलाफ एक registered व्यक्ति द्वारा capital goods की supply;
- 3) 100% EOU को निर्यात करने के लिए एक registered व्यक्ति द्वारा माल की आपूर्ति (Export Promotion Unit)
- 4) Notification संख्या 50/2017 - Customs में एक बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा Advance Authorisation के तहत सोने की आपूर्ति,)

TED रिफंड / ड्राबैक (जो भी लागू हो) के लिए applicaiton इस तरह की supply के लिए 100% भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 महीनों के भीतर दायर किया जा सकता है। उन मामलों में जहां भुगतान अग्रिम में प्राप्त होता है और supply बाद में की जाती है, ऐसे मामलों में ऐसी supply की अंतिम तिथि से 12 महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

CA. PRADEEP JAIN

Your Need Our Concern

COVID-19 के कारण सरकार द्वारा amendment के बाद, TED रिफंड / ड्राबैक के लिए application भरने की तिथि 30.09.2020 तक बढ़ गई है। परंतु इस बढ़ाई की डेट का फायदा तभी मन सकता है जब सप्लाई 01.03.2020 के बाद है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>